यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
रण संख्या 27/2023

1. गुड्डी देवी पत्नी भादर राम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 12 ढाणी चक 1 एमजेडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। प्रार्थिया

बनाम

1. अमनदीप कौर पुत्री बग्गु सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
2. आत्माराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
3. ओमी देवी पुत्री हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
4. कृष्णा देवी पुत्री रामप्रताप जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
5. कौशयला पुत्री हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
6. गुड्डिया पुत्री रामप्रताप जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
7. चंदो देवी पत्नी रामप्रताप जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
8. चरणजीत कौर पुत्री मोहर सिह जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
9. चिमन लाल पुत्र मोहन लाल जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
10. छिन्द्रपाल कौर पुत्री बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
11. जगरूप राम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
12. जसविन्द्र सिह पुत्र बग्गुसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
13. ठाकर राम पुत्र जीवन सिह जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
14. तेज सिह पुत्र जीवन सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
15. तेजा राम पुत्र मोहन लाल जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
16. दर्शन सिह पुत्र मोहन सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
17. धर्मपाल पुत्र हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
18. पृथ्वीराज पुत्र मोहन लाल जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
19. प्रसन्न कौर पत्नी बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
20. पाल सिह पुत्र मोहर सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
21. ब्रज मोहन पत्रु मलूराम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
22. बनवारी लाल पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
23. बलजीत सिह पुत्र मोहर सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
24. बलवंत सिह पुत्र हरचंद सिह जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
25. भगवान सिह पुत्र बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
26. मदन लाल पुत्र हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
27. मनजीत कौर पत्नी लक्ष्मण सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
28. मनोहरी देवी पुत्री रामप्रताप जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
29. महेन्द्र सिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
30. मोहन लाल पुत्र मोहन लाल जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
31. रेशम सिह पुत्र लक्ष्मण सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
32. रेशमी देवी पुत्री हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

33. राजाराम पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
34. रामकरण पुत्र कान्हा राम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
35. राम सिह पुत्र बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
36. रोशनी देवी पुत्री हरचन्द जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
37. लक्ष्मण राम पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
38. लेख राम पुत्र कान्हा राम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
39. विजय सिह पुत्र मोहर सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
40. विमला देवी पुत्री रामप्रताप जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
41. शिशपाल पुत्र हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
42. सुखजीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
43. सुखलाभ कौर पुत्री बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
44. सुखविन्द्र कौर पुत्री बग्गु सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
45. सावित्री देवी पुत्री हरचंद जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
46. सोहन लाल पुत्र कान्हा राम जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
47. हेतराम पुत्र मोहन लाल जाति बावरी निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।
48. हरकेवल सिह पुत्र बग्गु सिह
49. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
50. शाखा प्रबंधक एमजीबी हरिपुरा।
51. शाखा प्रबंधक पीएनबी हरिपुरा।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना–पत्र के सक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि प्रार्थीया कि माता श्योपति पुत्री सुखरमा के नाम से चक 3 एचआरपी में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो श्योपति देवी की मृत्यु के बाद श्योपति के वैध व विधिक वारिसान में विभक्त हुई श्योपति के वारीसान काशीराम, नत्थूराम रामपाल द्वारा अपना हक व हिस्सा प्रार्थिया के पक्ष में परित्याग कर दिया जिस कारण प्रार्थिया चक 3 एचआरपी की खातेदार काश्तकार हो गई प्रार्थिया माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिंनाक 24.09.2021 के माध्यम से चक 3 एचआरपी के खाता संख्या 61/59 में .557 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार हो गई प्रार्थिया के नाम इस संदर्भ में नामांत्रण दर्ज हो गया लेकिन जमाबन्दी में खाता अपवांदित होने के कारण प्रार्थिया का नाम जमाबन्द में दर्ज नही हुआ वर्तमान में चक 3 एचआरपी के खाता संख्या 131/15 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी व नामान्त्रण संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थिया के कब्जाकाश्त में चक 3 एचआरपी के खाता संख्या 131/15 के पं.न. 197/112 मुरब्बा नम्बर 32 किला नं. 1/1/.228, 10/.253 कुल 501 है. मय गै.मु. कृषि भूमि कब्जाकाश्त में है। जिसके सन्दर्भ में कोई विवाद नही है माता श्योपति पुत्री सुखराम द्वारा अपने जीवन काल में अपनी कृषि भूमि का सहखातेदारो साथ अच्छी मन्दी को लेकर विभाजन कर लिया था और मुताबिक विभाजन के श्योपति के हिस्सा में चक 3 एचआरपी के खाता संख्या 131/15 के पं.न. 197/112 मुरब्बा नम्बर 32 किला नं. 1/1/.228, 10/.253 कुल 501 है. मय गै.मु. कृषि भूमि घरूबंटवारा में प्राप्त हुई प्रार्थिया की माता घरूबंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर बंटवारा के रोज से ही लगातार व निर्विवाद रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:30:39
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनने के बाद अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अप्रार्थीगण संख्या 22 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि कालान्तर में कमला देवी का कब्जा काश्त श्री कमला देवी फौत हो चुकी है जिसके जायज एवं कानूनी वारिसान ओमप्रकाश, दौलतराम पिसरान बलराम, रागादेवी पत्नी बलराम, पप्पू उर्फ हेतराम, सहीराम पुत्र कमला व प्रेमादेवी से जरिये बैयनामा 29.05.2023 को खरीद लिया है एवं उक्त विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया उक्त विवादित कृषि भूमि की नहरी गिरदावरी कालान्तर में कमलादेवी के नाम से चल रही है तथा पानी की पर्चीया नहरी कमला के नाम से चली आ रही है। बयनामा व नहरी गिरदावरी व पानी की पर्चीया भी संलग्न प्रस्तुत की है। लेकिन प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र दफा 3 में वर्णित चक 3 एचआरपी खाता संख्या 131/15 प.न. 197/112 मु.न. 32 के किला नं. 1/1/0.228 व 10/0.253 में कोई कब्जा काश्त नही है एवं ना ही प्रार्थीया ने प्रश्नगत भूमि के कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया गलत तथ्यप्रस्तुत किये है जिसके आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तथा प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण में 3 बिन्दूओं को निर्धारित करना होता है।

प्रथम दृष्टया मामला

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थीया को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थीया एकल स्वामित्व की खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 22 ने निवेदन किया कि प्रार्थीया को जरिये डिक्री विरासतन हिस्सा मिला है न की Particular कब्जा जिससे प्रार्थीया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित किया है कि प्रार्थिया को माननीय न्यायायल द्वारा पारित डिक्री दिनांक 24.09.2021 के माध्यम से चक 3 एचआरपी के खाता संख्या 61/59 में 0.557 हैक्टर हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ है लेकिन खाता विवादित है। प्रार्थीया द्वारा किये गये इन कथनों से स्पष्ट है कि प्रशनगत भूमि विवादित खाते में दर्ज है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति

वकील प्रार्थीया ने वही तथ्य दोहराये जो प्रार्थना–पत्र में दर्ज किये गये है ... तथा निवेदन किया कि यदि अप्रार्थीगण उनके कब्जा की कृषि भूमि की ... कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके विरासतन नाम से दर्ज है उनके विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीया बतौर अतिक्रमी काबिज है और अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पक्ष में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि र्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनना पाया जाता। प्रार्थी अवैधिक दस्तावेज के आधार काबिज है जो केवल मात्र अतिक्रमी से बढकर कुछ नहीं है। तथा रिकार्ड रिकॉर्ड में कमला के म दर्ज भूमि उनके वारिसानों जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा अप्रार्थी संख्या 22 ने खरीद की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया न तो सुविधा का सन्तुलन व न ही अपूर्णीय क्षति साबित करने में सफल रही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीया अपना प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के विन्दू साबित करने में असफल रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सांगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:30:39
Reason: SelfAttested